

नम्बर व तारीख  
इस हुक्म की तारीख  
हुए

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज  | नम्बर व तारीख अहकाम<br>जो इस हुक्म की<br>तामील में जारी हुए |
|----------------|--|---|
| 21.07.25       | <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थी के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुन्धानगर तहसील सिवाना के खंसरा संख्या 264 रकबा 1.1077 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करें आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> |   |

  
सहायक क्लर्क  
(S.D.O) सिवाना



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक/2025/1542

दिनांक : 21-07-2025

प्रार्थी  
काननाथ पुत्र रूपनाथ

बनाम

विप्रार्थीगण  
स्व.अश्वनाथ के कायम मुकाम सांवलनाथ  
वगैराह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश  
जरिये पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं. 136/2025

दिनांक :- 21.07.2025

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सुन्धानगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 264 रकबा 1.1077 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/-प्रार्थीगण मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,  
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 21-07-2025

क्रमांक: वाचक /2025/1543

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी सैला तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकॉर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी काननाथ पुत्र रूपनाथ जाति स्वामी निवासी ग्राम सुन्धानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी,  
सिवाना (बालोतरा)